न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—165/2024/225 आर.टी.एक्ट (2024/165)

1. अंकित तिवाडी पुत्र हनुमान प्रसाद
2. राजेश शर्मा पुत्र मेघराज
3. सुरेश पुत्र ताराचंद
4. हनुमान पुत्र नानूलाल
5. मेघराज पुत्र नानूलाल

समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम नरवर तहसील व जिला अजमेर। अपीलांट्स

बनाम

1. अमरदीप तिवाडी पुत्र स्व0 सुरेश तिवाडी
2. श्रीमती लक्ष्मी तिवाडी पत्नी स्व0 सुरेश तिवाडी

समस्त जाति ब्राहमण, निवासी नरवर तहसील व जिला अजमेर हाल निवासी सुलक्ष्मी निवास भट्टे वाली गली आनासागर पुलिस चौकी के सामने, पुष्कर रोड, अजमेर। रेस्पोडेन्ट्स

3. चैनसुख पुत्र ताराचन्द तिवाडी (नामतर्क 15.4.2025)
4. सुशीला देवी पत्नी ताराचन्द तिवाडी (नामतर्क 15.4.2025)

समस्त जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम नरवर, तहसील व जिला अजमेर।

5. लक्ष्मी पुत्री ताराचंद तिवाडी पत्नी नारायणलाल तिवाडी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम पोस्ट टहला, थांवला तहसील रियांबडी, जिला नागौर। (नामतर्क 15.4.2025)
6. संतोष पुत्री ताराचंद पत्नी राजेश तिवाडी, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम पोस्ट टहला, थांवला, तहसील रियांबडी, जिला नागौर। (नामतर्क 15.4.2025)
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 09.07.2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर राजस्व वाद संख्या 14/2022 बउनवानी अमरदीप तिवाडी बनाम अंकित तिवाडी।

उपस्थितः—

1. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शशिकांत जोशी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित
5. रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 नाम तर्क

निर्णय

दिनांकः—25.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदकगण/असल रेस्पोडेंट्स ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकरी अजमेर के समक्ष अनावेदकगण/अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पोडेंटस के विरूद्ध प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अनावेदकगण/प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। तदोपरांत उपस्थित अनावेदकगण द्वारा अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं आदेश दिनांक 19.6.2024 के अनुसार दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट हेतु आदेश पारित किए गए लेकिन सभी पक्षकारों को विधिवत नोटिस तामील करवाए बिना दिनां 28.6.2024 को एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दी जिस पर आपत्ति का मौका दिए बिना परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9.7.2024 के द्वारा आवेदकगण/असल अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर लिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में बताया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना अतिआवश्यक व न्यायोचित है लेकिन परीक्षण न्यायालय की आदेशिका से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अनावेदकगण/प्रार्थीगण क्रमशः राजेश, अंकित व हनुमान को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर एवं मौका रिपोर्ट के नोटिस भी नहीं दिये गये फिर भी परीक्षण न्यायालय ने उक्त विधिक स्थिति व विधिक सिद्धान्त को नजर अन्दाज करते हुए आदेश पारित किया है। परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.06.2024 से यह स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय ने सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आदेश पारित किये थे जिसकी पालना किये बिना एकपक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिस पर सुनवाई करते हुए परीक्षण न्यायालय ने आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय इस बात पर गौर नहीं किया कि जो मौका रिपोर्ट दिनांक 28.06.2024 परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है वह मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2024 के आदेश की पालना में तैयार नहीं की गई है एवं उक्त मौका रिपोर्ट जिस व्यक्ति चैनसुख तिवाडी की उपस्थिति में तैयार कर उसके हस्ताक्षर किये गये है वह गलत एवं विधिविरूद्ध है। चैनसुख तिवाडी को उक्त आराजी बाबत तैयार की गई मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने का कोई विधिक हक व अधिकार ही नहीं था क्योंकि चैनसुख तिवाडी ने खसरा नम्बर 223 में से अपना हिस्सा जरिये हकत्याग अनावेदक/प्रार्थी सुरेश पुत्र ताराचन्द के हक में को कर दिया था जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 823 दिनांक 22.04.2024 को विधिसम्मत तौर पर तस्दीक हो चुका है इसलिए दिनांक 22.04.2024 के पश्चात् चैनसुख का उक्त विवादित आराजी बाबत सम्पूर्ण हक–अधिकार समाप्त हो चुके थे जिसके आधार पर विवादित आराजी से संबंधित किसी भी दस्तावेजात, मौका रिपोर्ट आदि पर हस्ताक्षर करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय इस बात पर गौर नहीं किया कि आदेशिका 19.06.2024 सभी पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया था किन्तु उनके द्वारा अनावेदकगण/प्रार्थीगण को विधिवत नोटिस तामील करवाये एवं मौके पर उपस्थिति हेतु सूचित किये बगैर एकपक्षीय तौर पर मौका रिपोर्ट तैयार की गई है जो कतई विधिविरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट दिनांक 28.06.2024 के विरूद्ध अनावेदकगण/प्रार्थीगण को ऐतराज प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

किया गया। जबकि विधि का यह सुस्थापित है कि तैयार मौका रिपोर्ट पर पक्षकारों को ऐतराज प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया जायेगा। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष दौराने बहस यह निवेदन किया था कि प्रार्थीगण को रास्ते में चाही गई भूमि के बदले प्रतिकर/प्रतिफल के रूप में भूमि ही दिलवायी जावे क्योंकि खसरा संख्या 223 के लगभग 5 व्यक्ति खातेदार है और उक्त खसरा नम्बर का रकबा भी कम है एवं खसरा नम्बर 223 के खातेदार कृषक ही है जिनका जीविकोपार्जन मात्र कृषि पर भी निर्भर है। उक्त भूमि के खातेदारों में से एक खातेदार विकलांग (सुरेश चन्द शर्मा) है जो आने–जाने में असमर्थ है फिर भी परीक्षण न्यायालय ने उक्त कथन को अपने निर्णय में अंकित नहीं किया एवं ना ही प्रार्थीगण को भूमि के बदले भूमि दिये जाने के आदेश पारित किये जबकि भूमि के बदले भूमि दिया जाना न्यायसंगत है। परीक्षण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश पारित करते समय इस बात पर गौर नहीं किया कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 223 बाबत पक्षकारों के मध्य बंटवारा का दावा सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 05.06.2024 पारित किया हुआ है जो आज दिनांक तक प्रभाव में है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि पक्षकारों के मध्य विधिवत बंटवारा होने के उपरान्त ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णय किया जाना न्यायोचित होता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषकं रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात ग्राम नरवर में खाता संख्या 485/485 के खसरा नम्बरान क्रमशः खसरा संख्या 215 रकबा 0.2400 है0 व खसरा संख्या 218 रकबा 0.4500 है0 एवं खसरा संख्या 219 रकबा 0.6700 है0 तथा खसरा संख्या 225 रकबा 0.4600 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.8200 है0 भूमि स्थित है, जो प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है एवं वर्तमान में प्रार्थीगण अभिलिखित आराजी है रिकॉर्डेड सहखातेदार कृषकगण है जिसकी पुष्टि संलग्न जमाबंदी संवत 2072 से 2075 की प्रति से होती है प्रार्थीगण की आराजी के पूर्व दिशा की ओर खसरा संख्या 223 रकबा 0.8500 है0 की आराजी स्थित है जिनके अभिलिखित सहखातेदार कृषकगण वर्तमान आप्रार्थीगण 1 से 9 है (सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 बहक खाता संख्या 27 की प्रति से रोशन है) तथा खसरा संख्या 223 के उपरान्त पूर्व दिशा की ओर लगवा राजकीय सड़क (अजमेर–सलेमाबाद–रूपनगढ़) स्थित है. जो संलग्न प्रमाणित नक्शा ट्रेस एवं गूगल नवशे आदि की प्रतियों से बखुबी साबित है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा एवं मजूरशुदा मार्ग मौके पर उपलब्ध नहीं है और न ही कोई वैकल्पिक मार्ग मौके पर उपलब्ध है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात एवं जोत के समुचित उपयोग व उपभोग हेतु मार्ग की आत्यन्तिक आवश्यकता है। चूंकि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात क्रमशः खसरा संख्या 225, 219, 218, 215 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 223 की आराजी में से ही मार्ग प्रदत्त किया जाना न्यायोचित है क्योंकि उक्त मार्ग ही लघुतम एवं निकटतम है। प्रार्थीगण अजमेर से सलेमाबाद की राजकीय सडक का उपयोग करते हुये इसके निकटतस्थ लगवा स्थित खसरा संख्या 223 की भूमि में दक्षिण दिशा की तरफ मेड के नजदीक पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवेश कर आवागमन करते हुये अपनी खातेदारी की आराजीयात खसरा संख्या 225 में प्रवेश कर जाते है इसलिये प्रार्थीगण को खसरा संख्या 223 की दक्षिण दिशा में मेड पर खसरा संख्या 223 की भूमि में पूर्व से पश्चिम की ओर 30 फीट चौडा मार्ग प्रदत्त किया जाना न्यायोचित है एवं प्रार्थीगण नियमानुसार उक्त मार्ग के प्रतिकर की राशि अप्रार्थीगण 1 से 9 को अदा करने हेतु तैयार एव तत्पर है अतः प्रार्थीगण को अपनी

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

खातेदारी की आराजीयात में आवागमन करने हेतु उपरोक्त मार्ग प्रदत्त किया जाना न्यायसंगत है। कृषि भूमि में रास्ता या पहुंच मार्ग किसान का एक आवश्यक विधिक अधिकार है तथा कृषि भूमि में पहुंच हेतु रास्ता होना किसान के लिये अत्यन्त आवश्यक होता है तथा कृषि भूमि पर पहुंच मार्ग की समस्या के समाधान हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाकर धारा 251ए एवं नियम 68 से 70 जोडे गये है तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिपत्र भी जारी किये गये है इसलिये उक्त के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण को अपने कृषि कार्य एवं जोत हेतु अपनी खातेदारी की आराजीयात में आवागमन करने हेतु उपरोक्तानुसार नवीन रास्ता प्रदत्त किया जाना न्यायोचित है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की आराजीयात में आवागमन हेतु रास्ते स्वीकृति बाबत अन्य कोई प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अन्य किसी भी न्यायालय में या न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण को सुलभता से समझने हेतु हस्तनिर्मित नक्शा प्रकरण के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है जो प्रकरण का एक भाग माना जाकर समझा व पढ़ा जावे। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रश्नगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार फरमाते हुये प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बरान क्रमशः संख्या 225, 219, 218, 215 कुल किता 4 कुल रकबा 1.8200 हैक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण 1 से की खातेदारी के आराजीयात खसरा संख्या 223 की दक्षिण दिशा में मेड पर खसरा संख्या 223 की भूमि में राजकीग सड़क से पूर्व से पश्चिम की ओर 30 फीट चौड़ा मार्ग खसरा संख्या 225 की भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए जाने से न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। आवेदकगण/असल रेस्पोडेंट्स ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकरी अजमेर के समक्ष अनावेदकगण/अपीलांट्स व तरतीबी रेस्पोडेंटस के विरूद्ध प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9.7.2024 के द्वारा आवेदकगण/असल अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार कर लिया व आदेश दिया कि *" प्रार्थीगण को 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 215, 218, 219, 225 पर आवागमन एवं ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु ग्राम नरवर तहसील अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 223 में से 12 फुट चौडा रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। "* उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है व अपीलांट द्वारा अपील के माध्यम से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिए व मौका रिपोर्ट बाबत किसी प्रकार का कोई नोटिस दिए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया गया है व अप्रार्थीगण अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 218, 219, 215 व 225 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 224 से आते जाते है अतः उनके पास उक्त रास्ता आवागमन के लिए उपलब्ध है फिर भी वह वैकल्पिक मार्ग होते हुए भी प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 223 में से रास्ता लेने चाहते है जो विधि विरूद्ध है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दो बार मौका रिपोर्ट मंगवाए जाने बाबत आदेश किए गए। प्रकरण में प्रथम मौका रिपोर्ट दिनांक 30.5.2024 को पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई परंतु उक्त रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, अजमेर को पुनः मौका रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने बाबत तहरीर जारी की गई। प्रकरण में पुनः मौका रिपोर्ट दिनांक 28.6.2024 को प्रेषित की गई तथा उक्त रिपोर्ट बाबत संबंधित पक्षकारान

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचित भी किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर लगाया गया आक्षेप की उनको इस बाबत सूचना प्रेषित नहीं की गई इस आधार पर गलत साबित होता है। चूंकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी रजिस्टर्ड एडी से सूचना प्रेषित की गई थी व उनकी तामीली के बावजूद अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली पर उक्त रजिस्टर्ड एडी की डिलीवरी रिपोर्ट भी उपलब्ध है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहा गया द्वितीय कथन कि रेस्पोडेंट खसरा नम्बर 224 से अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 215, 218, 219 व 225 से आवागमन करते है। इस बाबत पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 28.6.2024 का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार *"1. प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु वर्तमान में कोई मार्ग उपलबध नहीं है एवं राजस्व रेकार्ड में भी कोई रास्ता दर्ज नहीं है। 2. प्रस्तावित आराजी पर खसरा नम्बर 223 से खसरा नम्बर 224 से लगते हुए लगभग 30 फुट का रास्ता चाहा गया है (रकबा लगभग 00. 0494) डीएलसी दर 194586 प्रति है0 है। 3. चाहे गए रास्ते से निम्न खातेदारों की जमीन ली जानी है– अंकित तिवारी पुत्र हनुमान प्रसाद, मेघराज पुत्र नानूलाल, राजेश शर्मा पुत्र मेघराज, सुरेश पुत्र ताराचंद, हनुमान पुत्र नानूलाल। 4. उक्त खसरे के अलावा अन्य निकटतम व वैकल्पिक मार्ग उपस्थित नहीं है पास में स्थित खसरा नम्बर 224 वाणिज्यिक प्रयोग हेतु कन्वर्ट हो रखा है एवं मौके पर चार दीवारी हो रखी है।"* अतः प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 224 से आवागमन नहीं किया जा सकता है चूंकि उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोग हेतु कन्वर्ट हो रखी है व मौके पर चार दीवारी बनी हुई है। चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के उपरांत ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही रास्ता कायमी के आदेश दिए गए है। अपीलांट द्वारा अपने अपील के माध्यम से कहे गए कथनों को साबित नहीं कर पाए अतः उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर लगाए गए आरोप असत्य है। क्यों कि उक्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट दो बार मंगवाई गई है व उक्त प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग का भी अभाव है।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2023 आरबीजे 470 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955–** *"धारा 251ए नये रास्ते की स्वीकृति के लिये क्या आवश्यक तथ्य है उसका विवरण धारा 251ए में दिया गया है, उसके अनुसार इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता है न कि सुविधा के लिये इसके लिये वैकल्पिक रास्ते का नहीं होना आवश्यक है इस प्रकार के तथ्य है तो नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। इस वाद में सभी शर्ते हैं इसलिये नया रास्ता स्वीकार किया गया।"* उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/04/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner